

भारतीय मानक ब्यूरो

(दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय)

प्रशासन विभाग

संदर्भ संख्या: एसआरओ/एडमिन/एचएचएम-एएमडी./2024

22.07.2024

परिपत्र

विषय: हॉलिडे होम, मुन्नार में बुकिंग के लिए नियम और शर्तों में संशोधन

हॉलिडे होम्स, मुन्नार में सुइट्स बुकिंग के नियमों और शर्तों पर हमारे पिछले परिपत्र संख्या SRO/Admin/WH/01/04/2021 दिनांक 10.11.2022 के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में केवल दो बार हॉलिडे होम्स में सुइट बुक करने की अनुमति है।
2. यदि कमरा खाली हो और बुकिंग की कोई मांग न हो तो कमरा सभी कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर बुक किया जाएगा, जिसमें वह कर्मचारी भी शामिल होगा जिसने कैलेंडर वर्ष में पहले से ही दो बुकिंग की सुविधा का लाभ उठाया हो।



(एन. विटोबा)

उप निदेशक

(प्रशासन और वित्त)

बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय/आरओ/बीओ/प्रयोगशालाओं को परिचालित।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Southern Regional Office)
Administration Department

Ref No. SRO/Admin/IHM-Amd./2024

22.07.2024

CIRCULAR

Sub: Amendments of Terms and Conditions for booking in Holiday Home, Munnar-Reg.

In continuation to our earlier Circular No. SRO/Admin/WH/01/04/2021 dt. 10.11.2022 on Terms & Conditions of booking suites in Holiday Homes, Munnar, the following amendments are made with the approval of Competent Authority: -

1. An employee is allowed to book a suite in Holiday Homes only Twice in a calendar year.
2. In case of vacant of suite and no demand for booking suites, the room will be booked on priority basis to all employees including the employee who had already availed the facility of two bookings in a calendar year.



(N. Vittoba)
Deputy Director
(Administration & Finance)

Circulated to HQ/ROs/BOs/Labs through BIS Intranet